IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता

डॉ. वर्षा सागोरकर

सह प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

शास. हमीदिया महा. भोपाल

संक्षेपिका –

भारत परिवर्तित हो रहा है क्योकि तीन तलाक पर विधि का निर्माण हो चुका है और अनुच्छेद 370 की अलगाववादी विचारधारा अब अतीत बन चुकी है। राष्ट्र सर्वोपरि अस्मिता है, संविधान भारत का राजधर्म एवं भारतीय संस्कृति भारत का राष्ट्रधर्म और प्रत्येक भारतवासी विधि के प्रति निष्ठावान है। हम भारत के लोग भारतीय राष्ट्र की मूल इकाई है। संविधान की उद्देशिका "हम भारत के लोग से ही प्रारम्भ होती है इसके अनुसार हम भारत के लोगों ने ही संविधान गढ़ा है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रदान किये हैं। राष्ट्र राज्य को भी अनेक कर्तव्य सौंपे गये जो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित है किन्तु यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु इसमें व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा को सूचीबद्ध किया है ग्रेनविल आस्ट्रीन ने लिखा है कि "राज्य की सकारात्मक बाध्यताओं की रचना करके संविधान सभा ने भारत को भावी सरकारो को उतरादायित्व सौपे है।" कुछ निदेशक तत्वों पर सकारात्मक कार्य किये गये हैं किन्तु हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए अपरिहार्य "एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) के प्रवर्तन में वर्तमान तक कोई प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में सरकारों पर तीखी टिप्पणी की गई और 1985, 1995 एवं 2003, 2016, 2019 में संहिता के निर्माण पर बल दिया।

संविधान एवं विधि के प्रतिनिष्ठा प्रत्येक नागरिक का पुनीत दायित्व है एवं समान नागरिक संहिता संविधान का एक भाग और आदर्श है। साम्प्रदायिकता कारण से इसका प्रवर्तन राष्ट्र के समक्ष मुख्य चुनौती है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में 2019 में पांचवी बार शासन का ध्यानकर्षण किया एवं गोवा के तर्ज पर जहाँ भारत एक राज्य होने के पश्चात् भी पथिक विश्वास से परे एक समान नागरिक संहिता का उदाहरण है। नीति निदेशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं किन्तु भारत में अभी तक अनुच्छेद 40,43,45,47 एवं 39 ख पर अधिनियम बनने और संशोधन भी हुए किन्तु "समान नागरिक संहिता" की स्थिति आज भी ज्यो की त्यों है। मूलभूत प्रश्न यह कि क्यों भारत में एक राष्ट्र, एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का स्वाभाविक सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। जबकि नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है यह किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं क्योंकि विधि कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती। विश्व के समस्त विधियाँ राष्ट्र एवं समाज की संवैधानिक संस्थाओं से जन्म लेते हैं। पंथिक विश्वास सर्वथा नितांत निजी आस्थाएं है इसे अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अन्याय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके कारण "समान नागरिक संहिता" के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

प्रमूख शब्द –

प्रस्तावना –

2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से पूछा गया कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों उपरान्त भी ''समान नागरिक संहिता'' का क्या हुआ? आज भी शासन वही खड़ा है जहॉ 1955 में हिन्दू पर्सनल लॉ बनने के पश्चात् खड़ा था। विगत 65 वर्षों से इस विषय पर शासन एक भी ड्राफ्ट भी नहीं बना सका। मुस्लिम ना तो 14 सौ वर्ष प्राचीन धर्मग्रंथ के आधार पर चलता है किन्तु हिन्दू लॉ के सभी नियम तो हमारे ही संविधान निर्माताओं ने बनाये है तो क्या परिवर्तित समानुसार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं?

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि ''समानता एक कल्पना हो सकती है किन्तु इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। भारतीय संविधान भी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 44 में कहता है कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत ऐसा समूह तैयार किया जावेगा जो धर्म की चिन्ता किये बिना सभी नागरिको के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करेगा। इस प्रगतिशील विचार से स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव, अन्याय समाप्त होगा।

तार्त्पय–

वास्तव में समान नागरिकता एक सेक्यूलर कानून होता है जो सभी धर्मों के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अलग–अलग धर्मों के लिए अलग पर्सनल ला ना होना ही ''समान नागरिक संहिता'' की मूल भावना है। ऐसे कानून विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रचलित एवं लागू है। भारत में भी गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू है व सभी धर्मों के नागरिक बिना किसी विवाद के उन कानूनों का पालन भी करते हैं। जैसे अंग्रेजो क इतने पूर्व निर्मित कानून वर्तमान में भी भारतीयों पर लागू है किन्तु गंभीर चर्चा के उपरान्त बनाया गया अनुच्छेद 44 लागू करने का प्रयास नहीं किया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख गुरू गोवलकर ने कहा कि ''हमारे राष्ट्र में दो तरह के व्यक्ति है प्रथम हिन्दू एवं द्वितीय जिनके पूर्वज हिन्दू थे। भारत में हिन्दू एवं मुसलमानों का डीएनए एक है। हिन्दू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो कहता है कि सभी धर्मों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।'' संविधान दिवस पर इस बात की मांग की गई कि अब वह समय आ गया है जब सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस मांग का कारण यह था कि 23 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में लम्बी वार्ता के उपरान्त इसे संविधान समिति के सदस्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद ''44'' में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 44 यह कहता है किं भारत के समस्त नागरिकों पर उनके धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं लिंग से परे समान नागरिक कानून लागू किया जावें। वैसे तो भारत में समान विधि लागू है किन्तु विवाह, तलाक एवं बच्चों के संरक्षण के संबंध में अन्य समुदायों के लिए अलग विधि लागू है जो कि अन्याय है। 1950 से विभिन्न सरकारे आयी और चली गई किन्तु किसी ने इस बिन्दु या प्रश्न को उठाने की गहमत नहीं उठायी हांलाकि भारत के सभी राजनीतिक दलो के मेनीफेस्टों में इस मुद्दे का उल्लेख मिलता है। जब भी इस मुद्दे को उठाया गया तब इसका अंत मात्र एक दूसरे पर दोषारोपण से ही हुआ। अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ''धर्म को इतना विस्तृत व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र क्यों बना दिया है कि वह मानव के सम्पूर्ण जीवन पर अधिकार कर ले एवं विधायिका को इन पर हस्तक्षेप करने से रोके।'' चूंकि धर्म पितृसत्तात्मक विचारधारा में गहरी जड़ें रखता है इसलिए स्त्री पुरूष के मध्य शक्ति के असन्तुलन पर प्रहार नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्य बनाम समुदाय बनाम स्त्री का ध्रुवीकरण तोड़ने की आवश्यकता है और इसलिए समान नागरिकता संहिता एक होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र की रित्रयों की मानवाधिकार की रक्षा हो सकेगी।

इतिहास –

सन् 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने उत्तराधिकार, विवाह संबंध एवं अन्य धार्मिक संबंधों में मामलों में लागू किये गये आदेश में उल्लेख किया कि मुस्लिम धर्म से संबंधित कुरान के नियम हिन्दुओं से संबंधित शस्त्र–अस्त्र से जुड़े नियम कानूनों का पालन किया जावे। अंग्रेजी शासन ने इस संबंध में विभिन्न कानूनों का निर्माण किया जैसे–

1. द कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट – 1886।
2. द इंडियन डिर्वोस एक्ट – 1889।
3. द इंडियन क्रिश्चयन मैरिज एक्ट – 1872।
4. द काजी एक्ट – 1909।
5. द चाइड मैरिज एक्ट – 1936।
6. द पारसी मैरिज एंड डिर्वोस एक्ट – 1929।
7. द इंडियन सक्सेशन एक्ट – 1925।
8. द डिसोल्युशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1936।
9. द स्पेशल मैरिज एक्ट – 1954।
10. द हिन्दू मैरिज एक्ट – 1955।
11. द फॉरेन मैरिज एक्ट – 1969।
12. द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एण्ड डिर्वोस एक्ट – 1986।
13. द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन राइटस आन मैरिज एक्ट – 2019।

अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमनल एवं जस्टिस सिस्टम बनाया जो वर्तमान समय तक लागू है। सिविल लॉ के संबंध में 1840 में ऐसे प्रयास किये गये कि सभी के लिए एक ही समान नागरिकता संहिता का निर्माण किया जावे किन्तु हिन्दुओं समेत सभी धर्मालांबियों के कारण कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कम्पनी के तहत् भारतीय समाज में व्याप्त स्थानीय, धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं की दोष निवृति करना चाहते थे।

अंग्रेजों के शासन से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् से ही समान नागरिक संहिता की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। जब प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर नेहरू एवं कानून विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा समान नागरिक संहिता को संविधान के द्वारा लागू करने का प्रयत्न किया गया तो उन्हें संविधान सभा में तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके कारण 'हिन्दू कोड बिल' जो जैन सिख, बौद्ध एवं हिन्दू धर्म के नागरिकों पर प्रभावशील होगा को लागू किया गया। इस बिल के द्वारा स्त्रियों को संबंध विच्छेद (तलाक) एवं अधिनियम उतराधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। विवाह हेतु जाति को अप्रासंगिक सिद्ध किया गया। चूंकि डॉ. अम्बेडकर आरम्भ से समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे इसलिए इस अधिनियम के लागू ना हो सकने के कारण उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया।

सन् 1929 में जनियत उल उलेमा ने बाल विवाह को रोकने के विरूद्ध मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित होने की अपील की थी व इस आन्दोलन में सम्मिलित होने की अपील की थी व इस आन्दोलन का अंत उस समझौते के पश्चात् हुआ जिसके तहत् मुस्लिम न्यायाधीशो ने मुस्लिम विवाह तोड़ने की अनुमति दी थी।

भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है जिसके अन्तर्गत यह लिखा गया है कि शासन राष्ट्र भर में समान नागरिक संहिता लाने का प्रयत्न करेगी। स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू एवं अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल लाने का मुद्दा उठाया किन्तु एक धर्म के लिए विशेष कानून लाना उचित नहीं बल्कि उसके स्थान पर ऐसा कानून लाने की बात कही गई जो सभी धर्मों के लिए एक समान हो जिसके अन्दर समस्त धर्मो के व्यक्तिगत कानूनों का विलय हो सके। सम्पूर्ण राष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर समान

नागरिकता संहिता निर्माण की वार्ता आम है। संविधान दिवस पर इस बात की मांग ने काफी जोर पकड़ा कि अब वह समय आ गया है जब सम्पूर्ण राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस मांग का कारण यह था कि 23 नवम्बर 1948 को संविधान समिति के सदस्यों द्वारा लम्बी बहस के उपरान्त संविधान का अनुच्छेद 44 में इसे सम्मिलित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 44 यह कहता है कि भारत के समस्त नागरिकों को उनके धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति एवं भाषा आदि से परे समान नागरिक कानून लागू किया जावे। वैसे तो भारतीयों के समान नागरिक लागू है किन्तु उत्तराधिकार, विवाह, तलाक एवं बच्चों के गोद एवं संरक्षण के संबंध में अन्य सम्प्रदायों के लिए विलग विधि है जो कि अन्याय की श्रेणी में आता है। 1947 से वर्तमान तक विभिन्न सरकारे आती और जाती रही लेकिन इस प्रश्न या मुद्दे सभी ने मौन धारण कर लिया हांलाकि उनके मेनीफेस्टो में समान नागरिक संहिता का मुद्दा लक्षित है। लेकिन जब भी यह प्रश्न उठा तब–तब उसका अंत मात्र एक दूसरे पर दोषरोपण से ही हुआ।

सन् 1840 में ब्रिटिश शासन द्वारा "लेक्स लूसी" रिपोर्ट के आधार पर अपराधों साक्ष्यो एवं अनुबंधो के लिए एक समान विधि का निर्माण किया। 1860 में दण्ड संहिता 1861 में पुलिस अधिनियम, 1872 में साक्ष्य अधिनियम 1808 में सिविल प्रोसिजर अधिनियम जैसे एक विधियों का निर्माण किया किन्तु अपने लाभ के लिए हिन्दू एवं मुसलमानों के व्यक्तिगत विधियों को छोड़ दिया, जबकि दूसरी ओर बिंटिश न्यायपालिका ने अंग्रेजी विधि के तहत हिन्दू एवं मुसलमानो को आवेदन करने की सुविधा दी थी। जिसके कारण हमारा देश इस पर तीन शब्दों में विभाजित दिखाई देता है। राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक।

भारत में वर्तमान तक समान नागरिकता संहिता विधि अस्तित्व में ही नहीं आयी है जबकि तुर्की, बाग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सूडान एवं पुर्तगाल नागरिक संहिता 1867 से विघमान है।

आवश्यकता–

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दो के समग्र अध्ययन हेतु विधि आयोग को गठित किया साथ ही वे मुस्लिम वुमेन प्रोटेकशन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लागू हो जाने के पश्चात् से ही पुनः समान नागरिक संहिता के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। संविधान का अनुच्छेद 44 यह कहता है धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समान नागरिक संहिता निर्माण का कार्य नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत राज्य करेंगे। चूंकि यह प्रावधान नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। किन्तु अनुच्छेद 37 के तहत शासन विधि का निर्माण करते समय इस सिद्धांत को लागू करने हेतु बाध्य रहेगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था अन्याय भेदभाव व भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है मौलिक अधिकारों से उसका टकराव चलता रहता है इसलिए धर्म निरपेक्ष ढ़ाचे को सुदृढ़ बनाने में एकता को बल देने के लिए इस कानून की आवश्यक है।

1. इस देश व समाज को सैकड़ों जटिल कानूनो से मुक्ति मिलेगी।
2. 2. ब्रिटिश कानून से जो हीन भावना उत्पन्न हो गयी है उससे भी भारतीय मुक्त हो जाऐंगे।
3. एक पति, पत्नी की अवधारणा सब पर लागू पैतृक सम्पति में सबको समान अधिकार, विवाह विच्छेद की स्थिति में स्वयं अर्जित सम्पति में समान अधिकार।
4. वसीयत, दान, गोद आदि कानूनों में एकरूपता अलगाववादी मानसिकता से मुक्ति एवं अखण्ड भारत का स्वप्न पूर्ण होगा।
5. रूढ़िवाद, कट्टरवाद जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवादवाद भाषावाद समाप्त होगा व उसके स्थान पर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी।

लैगिंग न्याय –

धार्मिक विधियाँ चाहे वह किसी भी धर्म की ही क्यों ना उसमें स्त्रियों के अधिकार सीमित होते हैं। इसका आदर्श उदाहरण तीन बार तलाक बोलकर हसन–ए–तलाक व अहसन ए तलाक के आधार पर तलाक देने की प्रथा स्त्रियों के अधिकारों को सीमित करती है साथ ही उन्हें इसके लिए 3 माह की प्रतिक्षा भी करनी पड़ती है। इलाहबाद न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जेड. ए. खान ने एक व्यक्तव्य में कहा कि "परिवर्तन का तो सदैव ही प्रतिरोध होगा लेकिन किसी भी विधि में जो कुछ बदल सकता उसे बदला जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता स्वागत योग्य, नवोन्मेषी अवधारणा तथा लैगिग न्याय समानता महिलाओं की गरिमा के इसकी आवश्यकता है जो समस्त धर्मों मे समान न्याय प्रदान करने में सहायता करेगी।"

भारत जैसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक प्रथाओं के आधार पर निर्मित पृथक–पृथक नियम विनिमय के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान आम कानून जो धर्म, लिंग, जाति, भाषा से परे हो और हर नागरिक को समान रूप से न्याय प्रदान कर सके।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम होगा रूढ़िवादियों के स्थान पर समाज सुधारकों के साथ मिलकर जिस प्रकार भारत की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया है उसी प्रकार सर्वग्राही दृष्टिकोण से विवाह, उतराधिकार, तलाक, जीवननिर्वाह भत्ता व गोद लेने के पृथक –पृथक पहलुओं को चरण बद्ध

विधि से समान नागरिकता संहिता में लाने की आवश्यकता है।

जिस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता और सी आर पी सी विधियाँ भारत में सभी नागरिकों पर लागू है विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केन्द्र सरकार से कहा कि वर्तमान समय में समस्त व्यक्तिगत प्रक्रियायों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि उनके पूर्वाग्रह एवं रूढिवादी तथ्य सामने आ सके। बारम्बार धार्मिक स्वतन्त्रता की बातें कही जाती है किन्तु अनुच्छेद 25 में पूर्व में ही लिखा गया है कि "नइरमबज जव चनइसपब वतकमत भ्मसजी ंदक उवतसपजल" यानि किसी भी कुप्रथा को हम धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं कह सकते। राष्ट्र ना तो पुराण, कुरान एवं बाइबिल से नहीं चलता बल्कि संविधान से चलता है और संविधान की मूल भावना है "समानता" यदि कोई कुप्रथा चाहे वह किसी भी धर्म की ही क्यों ना हो असमानता के सिद्धांत पर आधारित है तो संविधान उसे धार्मिक स्वतन्त्रता के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए समान नागरिक संहिता का निर्माण की महती आवश्यकता है।

उपाय –

भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना पर बल देता है चूंकि आपराधिक मुद्दों या मामलो में सभी समुदाओं के लिए एक ही विधि सिविल मामलों में भी एक ही संहिता का मांग उठता स्वाभाविक है। अनुच्छेद 125 का संबंध किसी भी व्यक्तिगत कानून से नहीं है क्योंकि वह अपराध संहिता का प्रावधान है जिसका उद्देश्य दरिद्रता एवं भटकाव की स्थिति को रोकना था। अनुच्छेद 125 के तहत यदि कोई अपने उपर आश्रित व्यक्ति के भरण–पोषण की उतरादायित्व लेने से मना करता है तो पीड़ित व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति–रिवाजों को मानने की पूर्व स्वतन्त्रता प्रदान करता है तो निश्चित समान नागरिक संहिता का निर्माण होने व लागू होने से ये अधिकार तो सुरक्षित ही रहेगें बल्कि स्त्रिओं और बच्चों के अधिकारों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से स्त्रियों का सशक्तिकरण होगा और उनको दहेज, बहुविवाह, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय लॉ कमीशन को सीधे आदेश दे सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति से लॉ कमीशन द्वारा ताजी रिपोर्ट समान नागरिक संहितस पर बनायी गई है उस पर आम राय या जनता का मत बनाने के लिए भ्त्क डपदपदेजतल को सौप देनी चाहिए भ्त्क डपदपदेजतल सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शालेय व्यवस्था में इस पर निबन्ध एवं वाद–विवाद लेखन प्रतियोगिता रखे जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको इसकी वास्तविकता से अवगत होकर लागू करने की दिशा में एक राय बना सके।

सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय शासन को सीधे तौर पर यह आदेष नहीं दे सकते हैं कि आप समान नागरिक संहिता पर कानून बनाये किन्तु अपनी भावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं जैसे कि स्वतन्त्रता के उपरान्त से 5 वी बार न्यायालय ने यही किया। न्यायालय शासन को कह सकता है कि वह एक न्यायिक कमीषन या समिति का निर्माण करे। यह समिति विष्व के समस्त देषों की नागरिक संहिता को पढ़े समझे फिर भारत में हिन्दू एवं मुसलमानों के लिए जो अधिनियम बनाये उसका अध्ययन करे। इनमें से सभी की अच्छाइयों को मिलाकर एक आदर्ष समान नागरिक संहिता का मसविदा तैयार करे और इस प्रारूप को गृहमंत्रालय एवं विधि मंत्रालय की वेब साइड पर अपलोड करे। इससे यह लाभ होगा कि इस विषय पर प्रतिदिन चर्चा होगी और जो भी भ्रम है या गलतफहमी है वह दूर हो जाएगी।

जिस दिन समान नागरिक संहिता का प्रारूप अपने गुणों के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत होगा इसमें स्त्रियों बच्चों को कितना लाभ है वो इसका विरोध अपने आप ही बंद हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इसके विरूद्ध आवाज उठाएगा वे अपने तर्को से उसे गलत सिद्ध कर देगी।

पृथक–पृथक धर्म आधारित व्यक्तिगत विधियों की अस्पस्टता उनके मध्य अंतर्विरोध कई विवादो को जन्म देते हैं। जिसके कारण कई अनावष्यक विवाद उत्पन्न होते हैं व न्यायालयों पर मुकदमो का भार बढ़ता जाता है और अनावष्यक समय व धन व्यर्थ खर्च करना पड़ता है यदि समान नागरिक संहिता लागू होगी तो इस समय एवं धन का उपयोग भारत को समृद्धषाली करने में होगा।

अनुच्छेद 37 में नीति निदेषक तत्वों को लागू करना शासन का मूल कर्तव्य है जैसे अनुच्छेद 51 क के अनुसार देष के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है उसी प्रकार उनके अनुसार राज्यों का भी मूल कर्तव्य समान नागरिक संहिता को लागू करना है। अभी तक मात्र एक राज्य गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 से लागू है और सभी इसी कानून का पालन करते हैं। इसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य को भी इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

धर्म को मात्र आध्यात्मिक विषय तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि आप हिन्दू हो सकते हैं मुसलमान हो सकते हैं या अन्य किसी धर्म को मानने वाले किन्तु आपका धर्म, देष एवं संविधान से उच्च नहीं इसलिए समान नागरिक संहिता का निर्माण आवष्यक है। तसलीमा नसरील का भी मत है कि दक्षिण एषिया को भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेष जैसे देषों में कानून पर आधारित है। जिसके कारण भेदभाव की भावना उत्पन्न हो रही है।

न्यायालयों द्वारा विभिन्न मामलो के न्याय प्रदान करते समय बहुधा कहा जाता है कि शासन को समान विधि के निर्माण की दिषा में आगे बढ़ना चाहिए शाहबानो के प्रकरण से सभी परिचित है। यह 62 वर्षीय मुस्लिम स्त्री 5 बच्चों की मां को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ऐसा किया जा सकता है किन्तु जीवन निर्वाह का कोई अन्य साधन ना होने के कारण उसने न्यायालय की शरण ली जहॉ तक पहुचने में उसे लगभग 7 वर्ष का समय लगा। न्यायालय ने अपराध दण्ड संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत निर्णय लिया जो कि भारत में सभी नागरिकों पर लागू होता है। यह निर्णय रूढ़िवादी मुसलमानो के अनुसार उनकी संस्कृति एवं विधानों के विपरीप था। तब एम. जे. अकबर एवं सयैद शाहबुद्दीन ने मिलकर ऑल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड नामक संस्था का निर्माण किया एवं आन्दोलन की धमकी दी तब श्री राजीव गांधी द्वारा उनकी मात्र को स्वीकार कर धर्म निरपेक्षता का हवाला देकर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित किया। इस निर्णय के कारण न्यायालय द्वारा शाहबानो के पक्ष में आया निर्णय पलट दिया। मुस्लिम धर्मगुरूओं के प्रभाव में आकर पति से मिलने वाला भत्ता त्यागना पड़ा। हालांकि 2001 में डेनियल लतीफी मामले में शाहबानो केस को सही सिद्ध करते हुए सभी तलाक शुदा स्त्रियों हेतु निर्वाह मना निष्चित कर दिया।

समान नागरिक संहिता लागू होने जाने से वोट बैंक की राजनीति एवं धुर्वीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी। क्योकि प्रारूप सार्वजनिक होगा तो जनता स्वयं अपना मत बनाएगी उन्हें किसी दल अथवा दबाव समूह की सोच या विचार पर मोहर नहीं लगानी पडेगी।

समान नागरिक संहिता के माध्यम से बहुपक्षी, द्विपक्षी प्रथाएं समाप्त होगी व उतराधिकार तलाक में अधिकार प्राप्त करेगा।

चुनौतियाँ –

भारत जैसी धर्म निरपेक्ष शक्ति अखण्ड भारत एवं समान नागरिक संहिता जैसे प्रष्नों के साथ राष्ट्रवाद की अगली पंक्ति में खड़ी है। शासन इस क्षेत्र में सुन्दर गुलाब के फूलो की कल्पना कर रहा है जिसके लिए भूमी भी तैयारी की जा रही है किन्तु इस मार्ग में भारत को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है–

1985 के शाहबानो मुद्दे व 1995 के सरला मुगदल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणीयों ने इस मुद्दे पर जोर पकड़ा किन्तु इतनी पुरजोष कोषिष के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका– भारत की बहुल संस्कृति समान नागरिक संहिता के मार्ग में सबसे बड़ा रोडा है।

हिन्दू धर्म में इसे एक संस्कार, मुस्लिम धर्म में समझौता, पारसी एवं ईसाईयों के रीति–रिवाज भी एक कथा बयां करते हैं।

व्यापक सांस्कृतिक विविधता के चलते व्यक्तिगत मुद्दों पर एक समान राय बनाना व्यावहारिक रूप से अत्यन्त कठिन (दुरूह) है।

यदि समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्णय ले भी लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना सरल नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तिगत मुद्दों या प्रष्नों से जुडे सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह जैसे प्रष्नों पर किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुचाएं बिना कानून निर्मित करना कठिन होगा। मात्र शरिया कानून 1937 ही बल्कि हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, क्रिष्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एण्ड डिर्वोस एक्ट 1936 में भी सुधार की आवष्यकता होगी।

भारत के पृथक–पृथक राज्यों में रहने वाले एक ही धर्म के लोगों के रीति–रिवाज भी अलग–अलग है।

एक राजनीतिक दल जहॉ समान नागरिक संहिता को अपना एजेण्डा बता रहे हैं तो दूसरे अन्य दल इसे अल्पसंख्यकों के विरूद्ध शासन की राजनीति सिद्ध करने में लगे हैं।

राजनीति दलो का डर उन्हें यह कार्य करने से रोक रहा है, 1948 में जब हिन्दू कोड बिल लाया गया तो इसी सम्पूर्ण राष्ट्र में हिन्दू संस्कृति व धर्म पर प्रहार माना गया। शासन इस हद तक दबाव में आ गई कि डॉ.अम्बेडकर को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा।

वोट बैंक की राजनीति भी इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। ये धर्मालंबी व्यक्तियो की धार्मिक भावनाओं को भडकाकर राजनीति करते हैं और एक अच्छे व सार्वजनिक हित के मार्ग में खलल डालते हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून लगभग 1400 सौ वर्ष प्राचीन है और आस्था का इतना लंबा इतिहास इसमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं।

निष्कर्ष –

वास्तविकता में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 14 के अन्तर्विरोध है। अल्पसंख्यको की एक बहुत बड़ी संख्या इसे धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन मानती है। दूसरी और विधि आयोग जैसी संख्या भी समान नागरिक संहिता को आवष्यक नहीं मानती। राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरूद्ध आवाज उठा सके उसका उन्मूलन करने में सफल हुए तो क्योंकि उन्हें धर्म के अन्दर की कुरीतियों की चिन्ता थी। धर्म को मानने वालो को यह समझना व समझाना आवष्यक होगा कि भारत जैसे संस्कृति की बहुलता वाले देष में रहन–सहन से लेकर खानपान बोली में भी विविधता देखी जाती है जो कि इस देष सुन्दर विषेषता है। ऐसे में आवष्यक है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के पूर्व कानून में पिरोने से पूर्व अधिकतम सर्वसम्मति सामाजिक सौहार्द से इस मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय उतराधिकार की धारा 118 को असवैधानिक घोषित करते हुए विभिन्न पंथो, समुदायो, सम्प्रदायों और धर्मालांबियो पर लागू होने वाले व्यक्तिगत विधियों में एकरूपता तथा स्पष्टता लाने की अपरिहर्यता पर जोर देते हुए विधायिका को ये याद दिलाय कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में बनाने का निर्देष दिया।

वर्तमान में विवाह संस्था में वर्चस्व के कारण मैत्री संबंध बढ़ रहे हैं बच्चे की आवष्यकता भी अन्याय विधियों से पूर्व की जा रही है। शुरा में तो में संयुक्त परिवार का विघटन होता था अब तो एकल परिवार भी ध्वस्त हो रहे हैं ऐसे में विकृतियां बढ़ेगी अराजकता जन्म लेगी इसलिए नागरिक असामनता को अधिक दिनों तब दबाए रखना संभव नहीं। एक राष्ट्र एक कानून वर्तमान की आवष्यकता है किन्तु एक संवेदनषील मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए अधिक जन वार्ताएं, वाद–विवाद की आवष्यकता है। वह समय आ गया है जब संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म की परवाह किये बिना समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इसी से धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत किया जा सकता है महात्मा गांधी के उन शब्दों को याद करना चाहिए कि ''मैं नहीं चाहता हूॅ कि मेरे सपनो के भारत में सिर्फ एक ही धर्म का विकास हो मेरी दिली इच्छा है कि मेरा देष एक सहिष्णु देष है जिसमें सभी धर्म कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़े।'' राम मनोहर लोहिया ''कि भारत एक ही विषय पर हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई पृथक–पृथक विधियां धर्म निरपेक्षता व लोकतांत्रिक मूल्यों पर देष की अखण्डता के लिए संकटकारी है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1. समान नागरिक संहिता क्यों आवष्यक, षिक्षा गोयल जागरण, जोष, 26 दिस. 2019, पृ.क्र. 6।
2. समान नागरिक संहिता न लागू होने से अन्याय, नाइष हसन, दैनिक जागरण 11 दिस. 2019 पृ.क्र. 6।
3. समान नागरिक संहिता के पक्षकर थे नेहरू एवं अम्बेडकर, दैनिक जागरण, 20 अगस्त 2019, पृ.क्र. 6।
3. धर्म निरपेक्षता के लिए आवष्यक एक देष एक विधान, नरवद दान बारहठ, पत्रिकायन 4 अक्टू. 2019, पृ.क्र. 6।
4. अश्विनी उपाध्याय – डेलीहन्ट । ब्बउउवद सवू वित ंसस 12 नवम्बर 2019
6. 65 साल में एक ड्राफ्ट तक नहीं बना सकी सरकार, अजय प्रकाष– दैनिक भास्कर 17 जुलाई 2016, पृ.क्र. 3।
7. इसलिए जरूरी है समान नागरिक संहिता – हदयनारायण दीक्षित दैनिक जागरण 18 सितम्बर 2019।
8. सामाजिक समानता का स्वच्छ रास्ता चेतन भगत, अभिव्यक्ति दैनिक भास्कर 7 अक्टू. 2015 पृ.क्र. 8।
9. भारतीय संविधान सभ्रान्तों का दस्तावेज – दैनिक जागरण 3 दिसम्बर 2019 पृ.क्र. 6।